



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
द्वारा प्रायोजित
सात दिवसीय

नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम, कार्य शिक्षा एवं सामुदायिक वचनबद्धता में
शिक्षक समुन्नयन कार्यक्रम (FDP)

आयोजक

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
मार्च 25 -31, 2019

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय संसद द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (सं. 25, 2009) के अंतर्गत की गयी है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित व अधिनियमित है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय धर्मशाला, जिला काँगड़ा में स्थित है जो कि विश्व में अपनी स्वच्छ छवि, मनोहर आबोहवा एवं आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय के तीन अस्थाई शैक्षणिक खण्ड क्रमशः धर्मशाला, देहरा एवम् शाहपुर में स्थित है। विश्वविद्यालय की समस्त अकादमिक गतिविधियाँ तीनों अस्थायी शैक्षणिक खण्ड से संचालित की जा रही हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, ग्रामीण भारत के समुत्थान के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम निर्माण एवं संरचना में सहायता प्रदान करता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के प्रमुख शैक्षणिक कार्यों में ग्रामीण अध्ययन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, समाज कार्य और शिक्षा केन्द्रित है। पाठ्यक्रम में निहित परामर्श ग्रामीण भारत के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों के अध्ययन को रेखांकित करता है।

गाँधीवादी शिक्षा दर्शन

“शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम शक्तियों को बाहर निकालना है।”
- गाँधी

उपर्युक्त कथन महात्मा गाँधी द्वारा दिए गए शैक्षिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो विशेष रूप से मस्तिष्क, हृदय व हस्त कार्य को केन्द्रीभूत करता है - अर्थात् बालक के समग्र विकास को इंगित करता है। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो बालक /मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रेरित करे। गाँधी जी के अनुसार वही शिक्षा उचित है जो मन का शोधन करे, मस्तिष्क को अभ्यस्त बनाये, इन्द्रियों को वश में रखे, निडरता और आत्मनिर्भरता का निर्माण करे, निर्वाह का साधन बने, स्वतंत्र रूप से जीने की शक्ति तथा साहस को उजागर करे, उपयुक्त सूचना का भण्डार तथा तार्किक कौशल और भाषा शिक्षाशास्त्र का अस्तित्व प्रदान करे |

वर्धा शिक्षा योजना

वर्धा शिक्षा योजना, जो बुनियादी शिक्षा के नाम से भी लोकप्रिय है यह भारतीय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखती है। डॉ. ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा कांफ्रेंस के अंतर्गत विभिन्न शिक्षाविदों की एक समिति गठित की गयी। इस समिति में नौ सदस्य थे, जिसमें प्रो. के. जी. सयदैन का नाम प्रमुख था। आर्य नायकम, विनोवा भावे, काका कालेलकर, जे.सी. कुमारप्पा, किशोरी लाल, के. टी. शाह तथा अन्य सदस्य थे। इस समिति को एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसकी प्रथम रिपोर्ट दिसम्बर 1937 में तथा अन्य अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की गयी। यह

रिपोर्ट, 'बेसिक शिक्षा' का मौलिक दस्तावेज बना और यह योजना वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानी जाती है। इसे महात्मा गाँधी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा मार्च 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में प्रस्तुत तथा अनुमोदित किया गया।

नई तालीम

नई तालीम की अवधारणा शिल्प आधारित शिक्षा है जिसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास उसके व्यावहारिक कौशल पर आधारित है। इसमें कौशल जैसे कि साक्षरता तथा गणितीय अध्ययन इस सन्दर्भ में होते हैं जिससे व्यक्ति के शिल्प कार्य में निपुणता आए। इस उपागम में शैक्षणिक विषयों को अंतःविषय के माध्यम से इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि संसार में उनका व्यावहारिक प्रयोग हो सके। शिल्प-केन्द्रित उपागम, श्रम के गौरव, स्वावलम्बन में मूल्य, और स्थानीय संस्कृति की शक्ति को बढ़ावा देता है। गाँधी जी का मानना था कि सभी धर्मों का अध्ययन शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, साथ ही अहिंसा एक ऐसा मौलिक सत्य है जो सभी धर्मों में अन्तर्निहित है। नई तालीम में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को शामिल किया गया है।

सीटों की संख्या- 25

आवेदक

विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकाय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा महाविद्यालयों, डाइट, एससीइआरटी में कार्यरत शिक्षक, इस शिक्षक समुन्नयन कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार 20 मार्च 2019 तक अपना पूर्ण आवेदन पात्र fdpmsgncre.2019@gmail.com पर भेजें।

माध्यम - द्विभाषीय

आवास

सीमित संख्या में आवास की सुविधा उपलब्ध है जो की प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर आवंटित की जाएगी।

कैसे पहुंचें

इस कार्यशाला का आयोजन स्थल हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय का धौलाधार परिसर, धर्मशाला है जो कि सड़क और वायुमार्ग से जुड़ा है। नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट (91 कि. मी.) और अम्ब अन्दौरा, हिमाचल प्रदेश (92 कि. मी.) है। गगल हवाई अड्डा, धर्मशाला (15 कि. मी.), बस स्टैंड काँगड़ा (15 कि. मी.) और धर्मशाला (3 कि. मी.) है।

मौसम

मार्च माह में धर्मशाला का मौसम समान्यतः ठंडा रहता है। तापमान लगभग 5°C से 15°C के मध्य रहता है।

आवेदन की अंतिम तिथि : 20 मार्च 2019

यात्रा भत्ता

बाह्य प्रतिभागियों को सीमित यात्रा भत्ता की सहायता दी जाएगी | जिसमें एसी 3 टीयर श्रेणी ट्रेन और बस के टिकट ही मान्य होंगे |

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न से संपर्क करें :

समन्वयक
प्रोफेसर मनोज कुमार सक्सेना
drmanojksaxena@gmail.com
09805015599

संयोजक
डॉ नवनीत शर्मा
navneetsharma29@gmail.com
anueducation@gmail.com
08894702338

डॉ अनु जी. एस.
08894703576

सह-संयोजक



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
द्वारा प्रायोजित
सात दिवसीय
नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम, कार्य शिक्षा एवं सामुदायिक वचनबद्धता में
शिक्षक समुन्नयन कार्यक्रम (FDP)
आयोजक
शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
मार्च 25 -31, 2019

नामांकन पत्र

शिक्षक का नाम:
लिंग:
पदनाम:
विभाग/केन्द्र:
संबद्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान:
पत्राचार के लिए
पता:
..

पासपोर्ट साइज
फोटो

पिन कोड:
राज्य:

आवासीय सुविधा: हाँ/नहीं.....

नामांकन प्राधिकारी द्वारा संस्तुति*

सुश्री
/श्रीमती
/श्रीमान/
डॉ.....

पदनाम.....

..... को शिक्षक समुन्नयन कार्यक्रम (FDP) में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया जाता है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा स्कूल, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, द्वारा आयोजित की गई है। इन्हें संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से 25 मार्च से 31 मार्च 2019 तक कार्य निवृत्त किया जाता है ताकि वह पूर्णकालिक रूप से शिक्षक समुन्नयन कार्यक्रम में भाग ले सकें।

हस्ताक्षर/मोहर

नाम:

*विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य संस्थानों के सांविधिक अधिकारी ही नामांकन प्राधिकारी हैं।